तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	21/2018 सीताराम v/s मूर्ति मंदिर जुगल किशोर जी	
26/3/19	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील रेस्पोडेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सी.पी.सी. पूर्व में प्रस्तुत किया, जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि अपीलांट ने विशालत के नामान्तरकरण संख्या 1083 दिनांक 20/12/2016 को बहाल रखने हेतु अपील प्रस्तुत की है, जबकि पक्षकारों के मध्य नियमित वाद विचाराधीन था, जिसमें माननीय राजस्व मण्डल ने, अपील/डिक्री/डी.बी./6627/2016/दौसा दिनांक 18/2/2019 में रेस्पोडेन्ट का दावा अन्तिम रूप से डिक्री करते हुए वाद ग्रस्त नामान्तरकरण में अंकित भूमि को मन्दिर माफी की भूमि मानकर मूर्ति मन्दिर को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया है, इसलिए यह अपील सारहीन हो चुकी है, अपील निरस्त फरमाई जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा द्वारा निरस्त किये गये नामान्तरकरण सं. 1083 दिनांक 20/12/16 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है, लेकिन माननीय राजस्व मण्डल द्वारा नियमित वाद की द्वितीय अपील संख्या- अपील/डिक्री/डी.बी./6627/2016/दौसा, निर्णय दिनांक 18/2/19 में अपील को अन्तिम रूप से निस्तारित करते हुए उपरोक्त नामान्तरकरण में अंकित भूमि माफी मंदिर श्री जुगलकिशोर जी महाराज को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया है। इसलिए अपीलांट द्वारा मांगा गया अनुतोष न्यायालय द्वारा प्रदान किया जाना कतई संभव नहीं है अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर रजिस्टर से कम हो। तहत न्यायालय विधिवत सूचित हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। चिन्ता अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	